उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या:106/2017/2247/छप्पन-2017-23/2017
लखनऊ : दिनांक : 27 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप
नियुक्ति

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 की परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के पद पर श्री रजनीश वर्मा को शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के द्वारा संविदा सेवा पायलटों के लिए अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक रेन्ज रू0 2.50 लाख से रू0 4.50 लाख के अन्तर्गत रू0 4.50 लाख (रूपये चार लाख पचास हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक, अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते एवं नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक वृद्धि पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अग्रेतर 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए श्री राज्यपाल संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री रजनीश वर्मा को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

3- श्री रजनीश वर्मा से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करा कर शासन को उपलब्ध कराया जाएगा और उसकी एक प्रति सम्बन्धित पायलट को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

4- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री रजनीश वर्मा द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह 03 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

मृत्युन्जय कुमार नारायण
सचिव।

श्री रजनीश वर्मा,
C-67, सरोजिनी नगर,
लखनऊ।

पृ0 संख्या-106/2017/2247(1)/छप्पन-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ कि श्री रजनीश वर्मा से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन और एक प्रति सम्बन्धित पायलट को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. कार्मिक अनुभाग-1/ नियोजन अनुभाग-4
7. सम्बन्धित पायलट की व्यक्तिगत पत्रावली के लिए।/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in